

कार्यालय: जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0), गाजीपुर।

पत्रांक- — / जि0का0अधि0/भर्ती/ विज्ञप्ति/ 2025-26/ दिनांक- 15 दिसम्बर, 2025

—:विज्ञापन:—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्या-1/1092245/ 2025/ 3313/ 58-1-2025 (1917687), दिनांक- 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद-गाजीपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में ऑगनबाड़ी सहायिका के मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का बाल विकास परियोजनावार संख्यात्मक विवरण निम्नवत है:-

(जनपद में ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के परियोजनावार विवरण)					
क्र० सं०	परियोजना का नाम	श्रेणीवार आरक्षण का विवरण			
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित श्रेणी	योग
1	2	3	4	5	6
1	बाराचवर	15	21	32	68
2	शहर	3	7	6	16
3	रेवतीपुर	18	23	56	97
4	जमानिया	8	10	24	42
5	मदौरा	12	16	35	63
6	कासिमाबाद	27	40	77	144
7	मनिहारी	23	34	68	125
8	भोंवरकोल	6	9	25	40
9	देवकली	14	22	32	68
10	करण्डा	13	8	20	41
11	सैदपुर	23	43	83	149
12	जखनियों	24	23	61	108
13	विरनो	25	25	45	95
14	मरदह	11	14	27	52
15	सादर	16	19	35	70
16	सादात	24	39	63	126
17	मुहम्मदाबाद	12	10	26	48
	योग-	274	363	715	1352

उपरोक्त पदों की ग्रामसभावार/ वार्डवार रिक्तियों एवं केन्द्रों के आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद-गाजीपुर के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय व विकास भवन स्थित-जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश निम्नवत है:-

- चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687), दिनांक-17 सितम्बर, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- रिक्त पदों (ऑगनबाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। इसके लिये कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। अन्य जनपद अथवा राज्य के निवासिनी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के संबंध में हाई स्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट- <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समयवधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र/ अभिलेख

- (2)
6. किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक उक्त वेबसाइट पर केन्द्रवार आरक्षण एवं रिक्तियों का विवरण, अर्हता तथा शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
 7. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि-08 जनवरी, 2026 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
 8. विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जो कि उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी।
 9. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना, कार्यालय अथवा विकास भवन स्थित- जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
 10. क-ऑगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हेतु निम्न वरीयता जो कि शासनादेश में उल्लेखित है, जिसमें वरीयता निम्नलिखित निर्धारित है:-
 - (i)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (ii)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - (iii)- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- ख-उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही:-
- (i)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
 - (ii)- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
 - (iii)- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- ग- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- घ-(i)- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- (ii)- तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- (iii)- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक-30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हों। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक-14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- (iv)- निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगी, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- 11- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, पोर्टल <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड की जाएंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन

- फार्म में किया जाना होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय तहसील द्वारा ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण-पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक एवं वार्ड का नाम अंकित होना अपेक्षित है।
 13. ऑगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय पर आधारित है, जिस पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासन के निर्देशानुसार कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
 14. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटिजनित हानि से बचा जा सके।
 15. ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचनाएँ ही चयन के लिये प्रयोग की जायेंगी। कोई भी कागजात/अभिलेख ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में चयन हेतु विचार किया जायेगा।
 16. ऑगनबाड़ी सहायिका के विज्ञप्ति के सम्बन्ध में जानकारी हेतु तहसील/विकास खण्ड/परियोजना कार्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(पवन कुमार यादव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या- C-2059 / तददिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
4. मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय, गाजीपुर/अध्यक्ष, चयन समिति, गाजीपुर।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-गाजीपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद-गाजीपुर के विभिन्न समाचार पत्रों में निःशुल्क न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराने एवं अधिकतम प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी महोदय/सदस्य, चयन समिति, गाजीपुर।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-गाजीपुर।
9. सम्पादक हिन्दी समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र, गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि ऑगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम शासकीय दर एवं न्यूनतम स्थान पर आगामी प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कर नियमानुसार भुगतान हेतु बिल 02 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता सदस्य, जनपद-गाजीपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति की एक प्रति उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के साथ ही आप अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर भी अनिवार्य रूप से चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
11. कलेक्ट्रेट नोटिस बोर्ड/विकास भवन नोटिस बोर्ड/जिला कार्यक्रम अधिकारी, गाजीपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गाजीपुर।